प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 46 अंक – 40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 11 – 18 अक्तूबर 2021 मूल्य पांच रूपए

कारगिल के गिर्द केन्द्रित होता मण्डी का उपचुनाव और जबाव मांगते कुछ सवाल

- इसी युद्ध में घटा था ताबूत घोटाला
- कैग रिपोर्ट के आधार पर हुआ था मामला दर्ज
- इसी युद्ध के बाद घटा था बंगारूलक्ष्मण प्रकरण

शिमला/शैल। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के अब तक के कार्यकाल पर जनता की मोहर होंगे। यह तय है क्योंकि इस चुनाव की पुरी जिम्मेदारी मुख्यमन्त्री और उनकी टीम पर आ गई है । विधानसभा के लिये हो रहे उप चुनाव सदन के नेता की कारगुजारी पर ही जनता की प्रतिक्रिया होते हैं। परन्तु इन चुनावों में एक उपचुनाव लोकसभा के लिये भी हो रहा है। इसमें केन्द्र सरकार की कारगुजारी भी चर्चा में आना स्वभाविक है। लेकिन यह उपचुनाव भी मुख्यमन्त्री के गृह जिले में हो रहा है। इसलिये इसकी भी काफी जिम्मेदारी उन पर आ जायेगी। जबकि यहां पर राष्ट्रीय मुद्दे भी अहम भूमिका अदा करेंगे। मण्डी लोकसभा के लिये भाजपा ने पूर्व सैनिक सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। खुशाल ठाकुर कारगिल युद्ध में द्रास सैक्टर में तैनात रहे हैं। इस युद्ध में उनके शौर्य के लिये उन्हे पदकों से सम्मानित भी किया गया है। भाजपा इस उपचुनाव को पुरी तरह कारगिल युद्ध और सैनिक सम्मान तथा राष्ट्रभक्ति के गिर्द केन्द्रित करने का प्रयास कर रही है। कारगिल विजय एक बड़ा मुद्दा रही है और इसमें भाग लेने वाला हर सैनिक सम्मान का पात्र है। लेकिन इसी युद्ध को लेकर कुछ गंभीर सवाल भी उठे हैं जिनका जबाव आज तक नही आया है। आज जब इस चुनाव में भाजपा ने उस सैनिक को अपना उम्मीदवार बनाया है जिसे कारगिल हीरो कहा जाता है और भाजपा अपने चुनाव प्रचाार में राष्ट्रभक्ति तथा सैनिक सम्मान को बड़ा मुद्दा बना रही हैं तब उन सवालों का फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में पूछा जाना बहुत प्रसांगिक हो जाता है। क्योंकि तब भी भाजपा की केन्द्र और राज्य में सरकार थी तथा आज भी है।

स्मरणीय है कि यह युद्ध 1999 में 3 मई से 26 जुलाई तक 60 दिन चला था। इस युद्ध में अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 527 की शहादत और 1363 जख्मी हुये हैं। इसी युद्धमें ताबूत घोटाला हुआ था जिसमें तत्कालीन रक्षा मन्त्री जार्ज फर्नाडिज को पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। उन्ही की समता पार्टी की अध्यक्षा जया जेटली के खिलाफ मामला बना था। सीबीआई ने इस प्रकरण की जांच की थी। सैन्य अधिकारियों और अमेरिका के ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था । आरोप था कि जिस कम्पनी से यह ताबूत और शवों के लिये बैग खरीदे गये थे वह इन्हें बनाती ही नही थी। उस समय अल्यूमिनियम का ताबूत 2500 डॉलर और बैग 85 डॉलर में खरीदा गया था। इस दौरान कुछ और सैन्य सामान भी अमेरिका से खरीदा गया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस 2400 करोड़ की खरीद पर गंभीर सवाल उठाये थे। कैग रिपोर्ट पर ही सीबीआई ने अमेरिका की कम्पनी और तीन सैन्य अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन सीबीआई इस मामले में अमेरिका की कम्पनी के अधिकारियों के ब्यान नही ले पायी और अन्त में 2015 में सर्वोच्च न्यायालय से इसमें कलीन चिट मिल गई।

1999 के इस युद्ध के बाद भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारूलक्ष्मण के खिलाफ एक सैन्य डील प्रकरण में रिश्वत लेने के आरोप लगे। सी बी आई ने मामला दर्ज किया एक अदालत से बंगारूलक्ष्मण को सजा भी हुई। लेकिन इसी युद्धा महत्वपूर्ण मामला कारगिल ब्रिगेड के कमान्डर ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह का है। सुरेन्द्र सिंह ने इस युद्ध में कई सैन्य अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाये हैं। दो दशकों से उनका मामला सैन्य न्यायिक प्राधिकरण चण्डीगढ़ में लंबित है। ब्रिगेडियर सरेन्द्र सिंह ने यह सवाल उठाते हुये एक लम्बा लेख लिखा है। जो कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में छपा है। इस पत्र की गंभीरता उन्ही के शब्दों में इस प्रकार है No general officer was ever held responsible for all these glaring ill-conceived decisions. All of these events, which weakened our effort (to use the mildest words) before and during the war, need serious investigation. The same mindset of brushing things under the carpet is one of the reasons why the Chinese were able to prepare, concentrate and move to Eastern Ladakh last year, occupying territory up to Finger 4 at Pangong Tso.

Though I was removed from service, there was no charge against me either in terms of professionalism, valour or anything concerned with fighting the war. In fact, I was praised in writing in my ACR (compiled after I was removed from the Kargil command). The action against me was only for making photocopies of letters which contained 68 pages written to General VP Malik and getting them delivered to my residence (my Ops. Room bunker). And, that I had got these photocopies delivered through a messenger instead of an officer. I am told that others also removed documents from the Directorate of Military Operations to make photocopies for their personal use in books, etc. For example, the Hindustan Times reported in 2012, 'RTI reply hints at unauthorised use of confidential documents'. However, action was never initiated against anyone.

The Kargil War is now more than 22 years behind us. The corps commander has since died, while other high-ranking officials, including the army commander and his chief of staff, the DGMOs, the MSs, the DGMI, the divisional commander and other brigade commanders are already very old. A proper inquiry involving some of these old generals and others may reveal several issues. These revelations may have serious implications for the national security of India.

Much has been written about Kargil. But when the above-mentioned facts are considered, many of the claims made in support of how the war was handled fall flat. Along with the soldiers lost and injured, truth has been a casualty in this war.

I do not wish to blame anyone and have submitted all this information in the interest of the nation. Only an independent inquiry can point to the shortcomings of the military in the war. The criminal justice system of India is one of the most unjust. My case, in which I have challenged the treatment meted out to me by the Army, has been hanging fire for the past 20 years in courts, including for about 12 years in the Armed Forces Tribunal in Chandigarh. Unless the Chief Justice of India takes suo moto cognizance and orders an inquiry under the supervision of the Supreme Court, the truth and vital facts affecting the security of India will remain buried forever.

ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह द्वारा उठाये गये सवालों को राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में नजर अन्दाज करना सही नही होगा। आज जब ब्रिगेडियर खुशाल सिंह सतारूढ़ पार्टी के साथ सक्रिय राजनीतिक भूमिका में आ गये हैं तब उन से यह अपेक्षा रहेगी की वह इन सवालों का जबाव राष्ट्र के सामने लाने का वैसा ही सहास दिखाये जो कारगिल विजय मे दिखाया था।

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणाःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुल्लू जिला की शमशी पंचायत के सेरीबेहड़ का दौरा किया

और प्राकृतिक खेती करने वाले क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों से बातचीत की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को कम लागत के साथ-साथ अधिक आय अर्जित करने का लाभ प्राप्त रहा है। उन्होंने कहा कि खेती की इस पद्धति को अपनाने के लिए अनुभवी किसानों को अन्य किसानों का मार्गदर्शन करना होगा ताकि अन्य लोग भी इस पद्धति को अपना सके। उन्होंने कहा कि किसान सही मायने में कर्मयोगी होते हैं।

आर्लेकर ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है क्योंकि यह हमारी पारंपरिक कृषि पद्धति है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देश का पहला प्राकृतिक खेती राज्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा को पूरा करने के लिए सभी किसानों से सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। उन्होंने शमशी क्षेत्र के किसानों के प्रयासों की सराहना की।

किसानों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किए।

इससे उपरान्त, राज्यपाल ने फार्म क्षेत्र का भी दौरा किया और प्राकृतिक खेती के विभिन्न आदानों में गहरी रुचि दिखाई।

सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश्वर चंदेल ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को परियोजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराया।

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने किसानों की पहल की सराहना की और उन्हें गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दशहरा उत्सव पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा जताई कि यह पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरा उत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं दी और कामना की है कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में शांति, प्रसन्नता एवं खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है।

राज्यपाल ने कुल्लू दशहरे का विधिवत शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। सप्ताह भर चलने वाला अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव ढालपुर मैदान में विधिवत रूप के साथ आरम्भ हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भगवान श्री रघुनाथ जी की रथयात्रा में भाग लेकर महोत्सव का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने दशहरे के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर घाटी के लोगों को बधाई दी। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति अनूठी है और इसकी एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि यहां वर्ष भर मनाए जाने वाले मेले और त्यौहार लोगों की समृद्ध परंपराओं और मान्यताओं के द्योतक हैं।

कुल्लू जिले के विभिन्न भागों से 332 देवताओं को आमंत्रित किया गया था और 170 इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।

इससे पहले भुंतर हवाई अड्डे में आगमन पर राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उपायुक्त आशुतोष गर्ग और पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) भारतीय विचारों,

संस्कृति, इतिहास और मूल्यों पर केंद्रित है, जिसमें हम सभी को योगदान देना है ताकि देश खुद को विश्व नेता के रूप में पुनःस्थापित कर सके।

राज्यपाल ने धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शिक्षा का भारतीय स्वरूप पर आयोजित गोष्ठी में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें सही रास्ता पता होना चाहिए, जिसमें हमें आगे बढ़ना है क्योंकि भारतीय विचारधारा ने हमें दुनिया में एक अलग पहचान दी है। उन्होंने कन्या पूजन और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सोच हमें औपचारिकता से ज्यादा वास्तविकता की ओर ले जाती है।

आर्लेकर ने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें हमारी संस्कृति, परंपरा और जमीन से नहीं जोड़ पाई है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें कृषि कार्य करने में सहायक नहीं है, बल्कि हमें केवल नौकरी उन्मुखी है। इसलिए आज हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि हम नौकरी प्रदाता बनना चाहते हैं या नौकरी तलाशने वाले।

राज्यपाल ने कहा मैकाले की गुलाम शिक्षा नीति से बाहर निकलने में केवल नई शिक्षा नीति हमारी सहायता कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस नीति में शिक्षण संस्थानों के विकास के साथ-साथ हमारी संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है।

राज्यपाल ने कहा कि हमें वर्ष 1947 में राजनीतिक आजादी मिली लेकिन अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई मानसिकता से मुक्त नहीं हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि देश के अन्य विश्वविद्यालय उनकी इस पहल का अनुसरण करेंगे।

भारत-तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि दुनिया ने सामूहिकता का एक मॉडल दिया है जबकि हमारी संस्कृति ने अखंडता का मॉडल दिया है। उन्होंने कहा कि लोग जीवन के मूल्य की पूजा करते थे। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में किसी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के आधार पर की जाएगी, तो हमेशा भारत, भारतीय, भारतीयता के रूप में लिखा जाएगा। यह शब्द अपने आप में बहु-पारंपरिक, बहु-संस्कृति और बहुभाषी है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रो. नागेश ठाकुर ने कहा कि हर देश की अपनी संस्कृति, परंपराएं और आत्मा होती है और इसी तरह हर देश की अपनी शिक्षा नीति होती है।

राज्यपाल ने शक्तिपीठ नगरकोट धाम माता बृजेश्वरी मंदिर में शीश नवाया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिला के दो दिवसीय प्रवास के दौरान शक्तिपीठ नगरकोट धाम माता बृजेश्वरी मंदिर में शीश नवाया और

पूजा अर्चना की। नवरात्रें के पावन पर्व पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और शान्ति के लिये प्रार्थना की।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि यह शक्तिपीठ देशवासियों की आस्था व श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है।

उपायुक्त निपुन जिंदल, पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस. पी. बंसल ने राज्यपाल का स्वागत किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ॠचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल तिब्बती युवा कांग्रेस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर कांगड़ा

के मैक्लॉडगंज में तिब्बती युवा कांग्रेस की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित स्वर्ण जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रेजिडेंट पेन्पा शेरिंग ने राज्यपाल को सम्मानित किया। आयोजन में भारतीय व तिब्बती संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश कुमार, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन के सभापति खेन्पो सोनम, मुख्य न्यायाधीश डागपो सोनम, उप-सभापति डोलमा शेरिंग, तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोन्पो धोन्दुप, उपायुक्त कांगड़ा निपुन जिन्दल, पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा, जिला प्रशासन के अधिकारी अन्य अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 से संबंधित मानदंडों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने पर बल

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासु ने बताया कि पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों के साथएक बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त की और पुलिस कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया।

बैठक में मंडी लोकसभा क्षेत्र और अर्की, फतेहपुर व जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था बनाए रखने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में उप-निर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 से संबंधित मानदंडों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी करने, अवहेलना के मामलों में त्वरित व सख्त कार्रवाई करने तथा जनसभाओं व वर्चुअल सभाओं के दौरान कोविड नियमों जैसे मास्क पहनना, उचित दूरी तथा सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित बनाने के लिए कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में चुनाव ड्यूटी का निर्वहन कर रहे पुलिस कर्मियों से शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करने की भी अपील की गई। ईवीएम मशीनों सहित अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में सीएपीएफ की नियुक्ति करने, अवैध शराब पर सख्ती से रोक लगाने तथा इस तरह के मामलों पर विशेष नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासु के अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून- व्यवस्था) अशोक तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) दलजीत ठाकुर, पुलिस महानिरीक्षक (क्राइम) अतुल फुलझेले, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) साक्षी वर्मा, तीनों रेंज के पुलिस महानिरीक्षक व उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) संदीप भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक (कानून-व्यवस्था) भगत ठाकुर तथा उप निर्वाचन वाले सभी 8 जिलों के पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और एसएचओ वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।

एक लोकसभा व तीन विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु ने बताया कि मंडी लोकसभा क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की व जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। नामांकन-पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि, 13 अक्तूबर, 2021, तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र से छः उम्मीदवारों में भाजपा के ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की अम्बिका श्याम, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के मुन्शी राम ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार व सुभाष मोहन स्नेही शामिल हैं।

अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रत्न सिंह पाल, कांग्रेस पार्टी के संजय और निर्दलीय जीत राम प्रत्याशी हैं।

उन्होंने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच प्रत्याशियों में भाजपा के बलदेव ठाकुर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के पंकज कुमार दर्शी और निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. अशोक कुमार सोमल व डॉ. राजन सुशान्त शामिल हैं।

जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से चार उम्मीदवारों में भाजपा की नीलम सरैईक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रोहित ठाकुर, निर्दलीय प्रत्याशी चेतन सिंह बरागटा और सुमन कदम शामिल हैं।

मतदान केंद्रों में वेब-कास्टिंग से की जाएगी मतदान प्रक्रिया की निगरानी

शिमला/शैल। मतदान केंद्रों में वेब-कास्टिंग से की जाएगी मतदान प्रक्रिया की निगरानी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सी.पालरासु ने बताया कि मंडी लोकसभा तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों को वेब-कास्टिंग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। उप-निर्वाचन के लिए स्थापित कुल 2796 मतदान केंद्रों में से 1383 मतदान केंद्रों में वेब-कास्टिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने तथा मतदाताओं में विश्वास बहाली के दृष्टिगत सभी अतिसंवेदनशील अथवा संवेदनशील, कुल मतदान केंद्रों के 50 प्रतिशत, जिनमें पूरक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, इनमें से जो भी अधिक हो, उतने मतदान केंद्रों में वेब-कास्टिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन निर्देशों की पालना तथा मतदान प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित 2365 मतदान केंद्रों में से 1168 मतदान केंद्रों में वेब-कास्टिंग की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि फतेहपुर, अर्की व जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के लिए स्थापित कुल 431 मतदान केंद्रों में से 215 केंद्रों को वेब-कास्टिंग से जोड़ा जाएगा। वेब-कास्टिंग के दौरान मतदान की गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

राजकीय मुद्रणालय में मत पत्रों का मुद्रण कार्य सम्पन्न

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासु ने बताया कि ईवीएम तथा टेंडर वोट के लिए मत पत्रों का मुद्रण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय से सम्पन्न हो गया है। मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिए 56,500 तथा फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए 4,000, अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 4,000 तथा जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 मत पत्रों का मुद्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचियों का मुद्रण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिए 5,100 तथा फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए 300, अर्की विधान सभा क्षेत्र के लिए 400 तथा जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए 300 सूचियां मुद्रित करवाई गई हैं।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी ने मुद्रण कार्य का जायजा लिया। इस कार्य को निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए उन्होंने मुद्रणालय तथा निर्वाचन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा की।

इन मत पत्रों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचियों को 16 अक्तूबर, 2021 को सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी कार्यवाही के लिए वितरित कर दिया जाएगा।

चुनाव प्रचार तथा निर्वाचन संचालन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करें सुनिश्चित

शिमला/शैल। मुख्य चुनाव अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासू ने कहा कि मंडी लोकसभा तथा फतेहपुर, अर्की एवं जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उप-चुनावों के दौरान कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित विभिन्न राजनैतिक दलों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य व जिला स्तर पर हर स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई हैं। राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचन अधिकारियों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उचित एवं अग्रिम समन्वय तथा सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) को मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था, दस्ताने, फेस-शील्ड, मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मतदान केंद्रों, प्रशिक्षण स्थलों, प्रेषण और संग्रह केंद्रों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। विकेन्द्रित/शिफ्ट तरीके से प्रशिक्षण के उद्देश्य से बड़े हॉल/कमरे, प्रेषण/संग्रह केंद्र, ईवीएम/वीवीपैट के रैंडमाइजेशन कक्ष तथा इनके भंडारण स्थान और मतगणना केंद्रों की पहचान की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरक्षित कर्मचारियों सहित पर्याप्त संख्या में मतदान/मतगणना संबंधित कर्मचारियों का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों और संबंधित राजनीतिक दलों को भी कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधियों सहित 5 व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर अभियान चलाया जा सकेगा। रोड शो और मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से अभियान के दौरान जगह की उपलब्धता और कोविड दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अनुरूप एक क्लस्टर बिंदु में 50 से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं है।

प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग सीमित किया गया है और एक उम्मीदवार/राजनीतिक दल के लिए कुल वाहनों की अनुमत संख्या (स्टार प्रचारक को छोड़कर) अधिकतम 20 निर्धारित की गई है और इसमें भी प्रति वाहन अनुमत व्यक्तियों की क्षमता का 50 प्रतिशत रखी गई है।

मतदान दिवस पर अधिकतम 3 व्यक्तियों के साथ 2 वाहनों की अनुमति होगी। सुरक्षा-व्यवस्था में लगे वाहनों को मौजूदा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। हॉल अथवा अन्य आंतरिक स्थलों (इनडोर) में आयोजित होने वाली बैठकों के लिए अनुमत क्षमता का 30 प्रतिशत या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो, शामिल हो सकेंगे। बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या गिनने के लिए एक रजिस्टर रखने कहा गया है।

खुले स्थानों पर आयोजित होने वाली बैठकों अथवा सभाओं में स्टार प्रचारकों के मामले में क्षमता के 50 प्रतिशत या एक हजार और अन्य सभी मामलों में 50 प्रतिशत क्षमता या 500 लोगों, जो भी कम हो, को ही एकत्र होने की अनुमति दी गई है। आयोजन के दौरान पूरे इलाके को बंद करने और पुलिस की पहरेदारी के निर्देश दिए गए हैं। मैदान में प्रवेश करने वालों की गिनती पर नजर रखी जाएगी। घेराबंदी/बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से घेरा/बैरिकेड किया गया हो।

नुक्कड़ सभाओं में स्थान की उपलब्धता और कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पहले मौन की अवधि निर्धारित है।

मतगणना दिवस पर भीड़ को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को उचित उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना के दौरान हर समय उचित दूरी और अन्य कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल साइनेज फीचर की सहायता से कर सकेंगे मतदान

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की तथा जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन में 3047 दृष्टिबाधित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान के दौरान सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में 2718 दृष्टिबाधित मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इनमें भरमौर निर्वाचन क्षेत्र में 88, लाहौल-स्पीति में 78, मनाली में 74, कुल्लू में 140, बंजार में 128, आनी में 183, करसोग में 287, सुंदरनगर में 84, नाचन में 157, सिराज में 313, द्रंग में 80, जोगिंदरनगर में 127, मंडी में 194, बल्ह में 199, सरकाघाट में 160, रामपुर में 286 तथा किन्नौर निर्वाचन क्षेत्र में 140 मतदाता शामिल हैं।

तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों के लिए 329 दृष्टिबाधित मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनमें अर्की विधानसभा क्षेत्र में 125, जुब्बल-कोटखाई विधानसभा में 129 तथा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 75 दृष्टिबाधित मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ ब्रेल साइनेज (पहचान सूचक) फीचर जोड़ा गया है। इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने से ब्रेल लिपि का प्रयोग करने वाले ऐसे दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की सहायता के स्वयं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में ब्रेल लिपि में अंकित बैलट पेपर शीट भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि उप-निर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक से बने पदार्थों के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसमें पोस्टर, बैनर सहित एकल प्रयोग में आने वाले अन्य प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए भी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमे स्वार्थ ना हो। यह कड़वा सच है। - ......चाणक्य

सम्पादकीय

कर्ज, मंहगाई और बेरोजगारी बनाम विकास

प्रदेश की तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट के लिये उपचुनाव हो रहे है। इन उपचुनावों के लिये प्रदेश के बारह में से आठ जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू है । प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 में मतदान होगा। विधान सभा के लिये आम चुनाव दिसम्बर 2022 में होना है वैसे यह संभावना भी बनी हुई है कि कहीं यह आम चुनाव तय समय से पहले ही उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ ही फरवरी -मार्च में ही न करवा लिये जायें। इस व्यवहारिक स्थिति को सामने रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन उपचुनावों का परिणाम आने वाले आम चुनावों के परिणामों का भी साफ और स्पष्ट संकेत एवम संदेश होंगे। 2014 के लोकसभा चुनावों से लेकर 2017 के विधानसभा और फिर 2019 के लोकसभा के लिये हुए प्रदेश के सारे चुनाव भाजपा ने ही जीते हैं यह एक व्यवहारिक सच है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि 2014 से लेकर 2021 में हुए बंगाल चुनावो से पहले तक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर भाजपा हर चुनाव जीतती आयी है। जहां जीत नही पायी वहां पर तोड़ फोड़ से सरकार बना ली। बंगाल चुनावों में पहली बार नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा और आर एस एस के नाम पर ऐसी हार मिली है जिसने ''मोदी है तो मुनकिन है'' की धारणा को बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। बंगाल चुनावों के बाद जो भी चुनाव देश में होंगे उन पर बंगाल की हार का साया साफ देखने को मिलेगा यह भी स्पष्ट है। क्योंकि बंगाल चुनावों के बाद मोदी सरकार के सारे आर्थिक और राजनीतिक फैसले चर्चा में आ गये हैं। बढ़ती मंहगाई बेराजगारी, भ्रष्टाचार और कर्ज ने आम आदमी को इसके कारणों पर विचार करने के लिये बाध्य कर दिया है।

हिमाचल में हो रहे इन उपचुनावों को भी इसी आईने में देखना होगा। विपक्ष मंहगाई और बेरोजगारी को मुद्दाबना रहा है। भाजपा और उसकी सरकार इस दौरान हुए विकास के नाम पर जनता से समर्थन मांग रही है। इस लिये सरकार के विकास के दावे को बिना किसी पूर्वाग्रह को परखना आवश्यक हो जाता है। जयराम सरकार ने दिसम्बर 2017 में चुनाव जीतकर जनवरी 2018 में प्रदेश की सत्ता संभाली और 9 मार्च को विधान सभा में अपना पहला बजट भाषण पढ़ा। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट भाषण में यह आंकड़े रखे थें कि दिसम्बर 2017 में प्रदेश का कर्ज भार 46385 करोड़ हो गया था जो कि पिछले पांच वर्षो की तुलना में 246% अधिक था। जयराम ने यह आरोप लगाया था कि वीरभद्र सरकार ने 18878 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया था। दिसम्बर 2012 में सरकार छोड़ते समय यह कर्ज 27598 करोड़ था जो आज 46385 करोड़ हो गया है। लेकिन आज जयराम के ही चार वर्षो से भी कम समय में यह कर्ज 65000 करोड़ से पार चला गया है। जितना कर्ज वीरभद्र सरकार ने पांच वर्षो में लिया था उससे ज्यादा यह सरकार साढ़े तीन वर्षो में ले चूकी है। यह कर्ज लेने के बावजूद इस सरकार को उपचुनाव घोषित होने के बाद खाद्य तेलों की कीमत बढ़ानी पड़ी है। आज प्रदेश भर में सड़कों की हालत क्या है यह किसी से छूपी हुई नही है। स्कूलों में अध्यापक नही है और अस्पताल मे डाक्टर नही है। इस पर प्रदेश उच्च न्यायालय कई बार चिन्ता व्यक्त कर चुका है। रोजगार के जो आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से विधानसभा पटल पर रखे गये हैं उनके मुताबिक 2019 में सरकार में नियमित कर्मचारियों की संख्या 1,81,231 थी जो 2020 में 1,81,430 हो गयी है। जिसका अर्थ है कि एक वर्ष में केवल 200 लोगों को नियमित रोजगार मिल पाया है। पार्ट टाईम 2019 में 3334 थे जो 2020 में 3619 हो गये। दैनिक वेतन भोगी 2019 में 7253 थे जो 2020 में 6256 रह गये हैं। यह सदन में रखे आंकड़े हैं। इनके अतिरिक्त जो भी और रोजगार दिया गया है वह सारा आउट सोर्स के माध्यम से है जिसमें रोजगार का माध्यम बनने वाली कम्पनी को हर व्यक्ति पर कमीशन मिलता है। आज प्रदेश में आउटसोर्स के व्यापार मे लगी कम्पनियों की संख्या 100 से ज्यादा हो गयी है। और इन्हें कमीशन के नाम पर करोड़ों रूपये मिल रहे हैं। आउटसोर्स के माध्यम से लगने वाले कर्मचारी नियमित नही हो सकते क्योंकि वह सरकार के कर्मचारी है ही नही। ऐसे में आउटसोर्स के माध्यम से मिले रोजगार को क्या शोषण की संज्ञा नही दी जानी चाहिये।

मंहगाई के कारण आज पैट्रोल और रसोई गैस के दाम कहां पहुंच गये है यह किसी से छिपा नही है। लेकिन सरकार मंहगाई को यह कहकर जायज़ ठहरा रही है कि यह तो कांग्रेस के समय भी बढ़ी थी परन्तु यह नही बता रही कि तब गैस सिलैन्डर 450 रूपये मिलता था जो आज 1000 से उपर हो गया है। 2014 में जो बैंकों में जमा पुंजी पर ब्याज मिलता था। वह आज आधा रह गया है। क्योंकि आज बढ़ते एन पी ए के कारण सरकार को बैड बैंक बनाना पड़ गया है। बैड बैंक का स्पष्ट अर्थ है कि देश की बैंकिग व्यवस्था कभी भी फेल हो सकती है। लेकिन सरकार इन कारणों को जनता में ला नही पा रही है। क्योंकि इससे सरकार की आर्थिक नीतियों पर एक सार्वजनिक बहस छिड़ जायेगी जो सरकार के लिये घातक होगी। ऐसे में मंहगाई बेरोजगारी और बढ़ता कर्ज सबके सामने है। अब देखना यह है कि जनता इस सबके बाद भी सरकार को समर्थन देती है या नही।

पंजाब कांग्रेस पर सीमित असर डालेगा कैप्टन की नाराजगी

गौतम चौधरी

देश भर में चल रहे किसान आन्दोलन के बीच एकाएक पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे कर पूरे देश को चौंका दिया। संभवतः अमरिंदर पर लंबे समय से इस्तीफे को लेकर दबाव डाला जा रहा था। इधर कुछ राजनीतिक विश्लेषक अमरिंदर को लेकर बेहद संजीदा हैं और अपनी राजनीतिक व्याख्या में इस बात को शामिल कर रहे हैं कि पंजाब के आसन्न विधानसभा चुनाव में कैप्टन की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगी। इस विषय में फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि कैप्टन जैसे कद्दावर और मझे हुए नेता की नाराजगी का प्रभाव तो कांग्रेस पर पड़ेगा लेकिन जितनी चर्चा हो रही है उसके बनिस्पत पंजाब के वर्तमान हालात में ऐसा दिख नहीं रहा है। उसके कई कारण हैं।

पहला कारण तो यह है कि अभी भी पंजाब में कांग्रेस की जड़े मजबूत है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में केवल कैप्टन के कारण ही कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है। पंजाब में सदा से राजनीतिक के तीन पक्ष रहे हैं और तीनों पक्षों में से सबसे मजबूत पक्ष कांग्रेस का रहा है। दूसरा पक्ष अकालियों का है लेकिन अकाली तभी मजबूत होते हैं, जब भाजपा का वोट उनके पक्ष में जाता है, यानी साफ तौर पर जब भाजपा का समर्थन अकालियों को मिलता है, तो अकाली सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, अन्यथा उनकी स्थिति बहुमत वाली नहीं होती है।

एक नजर हमें दलों के वोट बैंकों पर भी डालना चाहिए। अकालियों के पास बड़े पैमाने पर जट सिखों का समर्थन होता है। जट सिखों का वोट पूरे पंजाब में 25 प्रतिशत के करीब है। अकालियों को थोड़ा वोट मजबी सिख यानी अनुसूचित जाति के सिखों का भी मिलता है लेकिन उसका प्रतिशत बेहद कम होता है। उसी प्रकार, जो पिछड़ी जाति के सिख हैं, उसका भी वोट अकालियों को कम ही मिल पाता है लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन से हिन्दू वोट धृविकृत हो जाता है और अकाली सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस के पास पूरे पंजाब के सभी जाति एवं धार्मिक समूहों का वोट है। जट सिखों में भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। इधर मजबी सिख, कांग्रेस के आधार वोटर माने जाते हैं। अकालियों से त्रस्त हिन्दू वोटर भी इन दिनों कांग्रेस के प्रति आकर्षित हुए हैं। भले ही अकाली शासन में भारतीय जनता पार्टी, सरकार का हिस्सा थी लेकिन आम पंजाबी हिन्दू अपने आप को बेहद कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहा था लेकिन का कांग्रेस शासन आते ही ऐसी बात नहीं रही।

अकाली शासन में हिन्दुओं के कई बड़े नेता मारे गए और पंजाब में आतंकवाद की स्थिति भी भयावह होती चली गयी। सबसे बड़ी बात यह है कि अकाली शासन में हिन्दू नेता के हत्यारों पर कार्रवाई की गति भी धीमी थी। यही नहीं आतंकवाद पर शिकंजा भी कमजोर था लेकिन कांग्रेस के शासन आते ही आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त अभियान देखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता ब्रिगेडियर गगनेजा के हत्यारे पकड़े गए और आरएसएस की शाखाओं पर सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई। कांग्रेस शासन काल में हिन्दू व्यापारियों को भी राहत महसूस होने लगी। इसलिए पंजाब के हिन्दू वोटर कांग्रेस के प्रति जबरदस्त सहानुभूति रखते हैं।

इधर पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आन्दोलन में पंजाब के किसान ही नहीं पंजाब के मंडी व्यापारी भी शामिल हैं। बता दें कि पंजाब में किसान भले जट सिख हों लेकिन मंडी का व्यापार पूरी तरह हिन्दुओं के हाथ में है। मंडी में बैठे व्यापारियों को इस बात बड़ी चिंता है कि केन्द्र सरकार के द्वारा पारित तीन किसान विधेयकों से केवल किसान ही प्रभावित नहीं होंगे अपितु मंडी व्यापारियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका भी असर पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।

कांग्रेस ने जिन्हें पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया है, वे अनुसुचित जाति समाज से आते हैं। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले ऐसे अनुसूचित नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं। इससे पहले जट सिख ही पंजाब के मुख्यमंत्री होते रहे हैं। पंजाब की राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पंजाब में लगभग 35 प्रतिशत वोटर अनुसूचित जाति के हैं। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का भी अपना जनाधार है। इसलिए कैप्टन की नाराजगी का असर पंजाब कांग्रेस पर सिमित पड़ेगा। यदि सिद्धू पार्टी छोड़ गए, जिसकी संभावना कम दिख रही है तो कांग्रेस के स्थान पर आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर हो जाएगी। फिर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और आतंकवाद की वापसी की संभावना भी बढ़ जाएगी।

इन तमाम तथ्यों के विश्लेषन से तो सही ज्ञात होता है कि फिलहाल पंजाब में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। किसी नेता के चले जाने या फिर आ जाने से पंजाब कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेसी आलाकमान ने पंजाब में जो ऑपरेशन किया है उसका आसन्न चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं है लेकिन पंजाब का कांग्रेसी ऑपरेशन गुजरात से लेकर जम्मू-कश्मीर तक असर डालेगा।

सभी के लिए ब्रॉडबैंड- पीएम गति शक्ति पहल का एक प्रमुख पहलू

शिमला। राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान (एनएमपी) जिसे पीएम गति शक्ति कहा जाता है, की घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। यह एक एकीकृत दृष्टि के तहत राजमार्गों, रेलवे, विमानन, गैस, बिजली पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सभी उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करने का प्रस्ताव करता है। यह एकल एकीकृत मंच परिवहन और प्रचालन तंत्र के व्यापक और एकीकृत मल्टी-मोडल राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संपर्कों की स्थानिक दृश्यता प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य जीवन में आसानी लाना, व्यवसाय करने में आसानी, व्यवधानों को कम करना और कम लागत में कार्य पूर्ण करने में तेजी लाना है। एनएमपी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और देश की वैश्विक प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाएगा जिससे वस्तुओं, लोगों और सेवाओं के सुचारू परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गति शक्ति के शुरू होने और उपयोगिताओं तथा बुनियादी ढांचे के लिए योजना बनाने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण की शुरुआत के साथ, हमारा देश विकास की दिशा में एक और विशाल कदम उठाने और + 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में विकसित होने के लिए तैयार होगा।

सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण-शहरी और अमीर-गरीब के बीच डिजिटल अंतर को पाटने और ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत करना आवश्यक है।

इससे नागरिकों का सामाजिक-आर्थिक विकास होता है। चूंकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सभी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति - 2018 (एनडीसीपी-2018) डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे और सेवाओं को भारत के विकास और कल्याण के प्रमुख कारकों और महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में मान्यता देती है।

एनडीसीपी-18 का एक उद्देश्य 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' प्रदान करना है ताकि व्यापक प्रसार, समान और समावेशी विकास के परिणामी लाभ सभी को मिल सकें। इस नीति का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को प्रभावी ढंग से पाटकर नागरिकों को सशक्त बनाना है। तदनुसार, 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' के परिचालन के लिए, सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 को 'राष्ट्रीय बॉडबैंड मिशन' शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे में तेज बढ़ोतरी को सक्षम करना, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना और सभी के लिए ब्रॉडबैंड की सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।

2. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का लक्ष्य है -

- पूरे देश में और विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वृद्धि और विकास के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं तक सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विस्तार और निर्माण में तेजी लाने के लिए आवश्यक नीति और नियामक परिवर्तनों पर ध्यान देना।
- देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और टावर्स सहित डिजिटल संचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का एक डिजिटल फाइबर मैप बनाना।
- मिशन के लिए निवेश बढ़ाने हेतु संबंधित मंत्रालयों / विभागों / एजेंसियों सहित सभी हितधारकों और वित्त मंत्रालय के साथ काम करना।
- उपग्रह मीडिया के माध्यम से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ काम करना।

- विशेष रूप से घरेलू उद्योग द्वारा ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
- मार्ग के अधिकार (राइट ऑफ वे-आरओडब्ल्यू) के लिए नवीन कार्यान्वयन म डल विकसित करके संबंधित हितधारकों से सहयोग मांगना।
- ओएफसी बिछाने के लिए आवश्यक आरओडब्ल्यू अनुमोदन सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार से संबंधित सुसंगत नीतियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम करना।
- किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे और अनुकूल नीति तंत्र की उपलब्धता को मापने के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बीआरआई) विकसित करना।

डिजिटल संचार अवसंरचना के विकास के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देना।

3. मिशन के तहत अब-तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

- 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक भारतीय टेलीग्राफ आरओडब्ल्यू नियम, 2016 के साथ अपनी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नीति को काफी हद तक श्रेणीबद्ध कर दिया है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपेक्षित श्रेणीबद्ध के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।
- जैसा कि मिशन में परिकल्पित है, सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए अपनी राज्य ब्रॉडबैंड समिति का गठन कर दिया है।
- देश के सभी 6 लाख गांवों को आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना के तहत अब तक लगभग 5.48 लाख किलोमीटर ओएफसी बिछाया जा चुका है, लगभग 1.65 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार (ओएफसी और उपग्रह पर) किया जा चुका है। इसके अलावा, भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके, लगभग 1.04 लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं और लगभग 5.14 लाख फाइबर एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
- देश भर में ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए प्रधान मंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएएनआई) योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 49,000 पीएम- डब्ल्यूए एनआई एक्सेस पॉइंट तैनात किए जा चुके हैं।
- भारत की लगभग 98% आबादी को 3जी/4जी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिल रही है, जिसमें 94% बसे हुए गांवों में कवरेज शामिल है। वंचित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) योजनाएं हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 4404 मोबाइल टावर साइटों की स्थापना के माध्यम से लगभग 5600 गांवों को जोड़ने के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, एलडब्ल्यूई-द्वितीय योजना के तहत 4 जी के 2542 टावर, लद्दाख और कारगिल, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 354 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी, 24 आकांक्षी जिलों में 502 वंचित गांवों को कवर करते हुए 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 85 वंचित गांवों और एनएच के साथ वाले क्षेत्रों के लिए 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी।
- देश भर में 6.78 लाख से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं। 34% बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) को फाइबरयुक्त किया गया है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को बढ़ी हुई दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी को कमीशन किया गया है।
- मेनलैंड भारत (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच 1891 किमी ओएफसी बिछाकर पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की भी योजना बनाई गई है। टेंडर फाइनल होने के बाद प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। इस परियोजना के मई, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।
- 31 मार्च 2021 को अखिल भारतीय स्तर पर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 778 मिलियन पहुंच गई है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स (प्रति 100 जनसंख्या) की संख्या लगभग 60.7 तक पहुंच गई है और प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक प्रति माह औसत वायरलेस डेटा उपयोग 12.33 जीबी तक पहुंच गया है।

4. बहु-क्षेत्रीय प्रभाव: ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के आर्थिक प्रभाव कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय और सरकारी सेवाओं जैसी विभिन्न क्षेत्रीय पहलों से जुड़े हुए हैं जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। हाई स्पीड सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है जो विकास, आर्थिक परिवर्तन और आय वृद्धि के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रमों के आवश्यक घटक हैं।

-अशोक कुमार मित्तल-
सलाहकार दूरसंचार विभाग
-हरि रंजन राव-
संयुक्त सचिव दूरसंचार विभाग

हमने डॉ. कलाम द्वारा भारत के लिए तैयार किए गए रोडमैप पर एक लंबा सफर तय कर लिया है

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम पर स्मारक व्याख्यान दिया

पुरी ने कहा कि डॉ. कलाम ने सर्वश्रेष्ठ भारत का प्रतिनिधित्व किया और विविध परम्पराओं, क्षेत्रों एवं लोगों को सफलतापूर्वक एक साथ लाते हुए एक ऐसी जीवन गाथा बन गए, जो भारत के 1.3 अरब लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि वह जहां भी गए और उन्होंने जिनके साथ भी बात की, उन्होंने आशावाद और सकारात्मकता का परिचय दिया। आज के निंदक और अति ध्रुवीकरण के माहौल में, डॉ. कलाम को याद करने से हम सभी का भला हो सकता है।

डॉ. कलाम के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बताते हुए पुरी ने कहा कि उन्हें डॉ. कलाम के साथ काम करने का मौका मिला था, जब वह रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और वह खुद रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने भारत के अग्रणी रक्षा वैज्ञानिक होते हुए विविधता के सहयोग के आदर्शों को मूर्तरूप दिया और कई अन्य उपलब्धियों के साथ हमारे देश के मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

पुरी ने कहा कि डॉ. कलाम एक विनम्र व्यक्ति थे, जिन्होंने महान पेशेवर सफलताएं हासिल कीं जिनसे राष्ट्र को एक दिशा मिली और वह 21वीं में अपने लिए एक रास्ता तैयार कर सका। साथ ही, उनकी सत्यनिष्ठा, बुद्धि और आकर्षण की व्यक्तिगत कहानी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया। डॉ. कलाम को सभी से सराहना, सम्मान और प्यार मिला और आज भी मिल रहा है।

डॉ. कलाम को भारत के विचार का प्रतीक बताते हुए, पुरी ने कहा कि वह दुनिया के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने इस महान राष्ट्र की विविधता को प्रदर्शित करने वाले समूह का प्रतिनिधित्व किया-वह एक सच्चे मुस्लिम थे, लेकिन वह काफी आध्यात्मिक भी थे, और अंतर-धार्मिक संवाद और समन्वयवाद को बढ़ावा देते थे(वह एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अत्याधुनिक सैटेलाइट प्रौद्योगिकी विकसित की लेकिन साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का भी समर्थन किया) वह भारत के 'मिसाइल मैन' थे जिन्हें भारत की अंतरिक्ष और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया, साथ ही अपने जीवन को शांति के लिए समर्पित कर दिया। सबसे ज्यादा अहम, वह 'जनता के राष्ट्रपति' थे, जिन्होंने दुनिया की बेहतरी और भारत के लिए अपने जुनून और प्रतिबद्धता के माध्यम से हमारे नागरिकों पर एक अमिट छाप छोड़ी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉ. कलाम ने भारत के नागरिकों को प्रेरित और सशक्त बनाने वाले उद्देश्यों के साथ खुद को जोड़कर राष्ट्रपति की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया। अपने कार्यकाल के बाद भी, उन्होंने बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं की ज्यादा पहुंच की वकालत करके एक नीतिज्ञ के रूप में हमारे विकास के एजेंडे में काफी योगदान दिया। उन्होंने अपने 'व्हाट कैन आई गिव' आंदोलन के माध्यम से करोड़ों युवा भारतीय छात्रों को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया।

पुरी ने कहा कि हमने उस रोडमैप पर लंबा सफर तय किया है, जो डॉ. कलाम ने भारत के लिए तैयार किया था। चाहे यह इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो या राष्ट्रीय सुरक्षा हो(शिक्षा हो या अंतरिक्ष खोज हो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आत्मनिर्भरता और स्थायी आर्थिक विकास की राह पर बढ़ रही है, जिससे भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण हो, या स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सर्वत्र स्वच्छता हासिल करना हो, या उज्ज्वला योजना के माध्यम से ऊर्जा सामर्थ्य हासिल करना हो, इस सरकार ने एक मजबूत ढांचागत नींव तैयार की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के माध्यम से, यह सरकार डॉ. कलाम के ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के विजन को साकार कर रही है और स्थानीय आर्थिक विकास, मूलभूत सेवाओं में विस्तार और नियोजित गांव तैयार करने में सहायता कर रही है।

पुरी ने कहा कि आज भारत में 'अंत्योदय से सर्वोदय' के दर्शन के साथ आगे बढ़ने वाली मोदी सरकार खाद्य पदार्थों, रसोइ गैस, राशन और विस्थापन और आपदा राहत सहित अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए सीधे नकदी हस्तांतरित कर रही है। जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) के साझा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए, इस सरकार ने जरूरतमंदों तक आपूर्ति को बढ़ावा देने वाले खामियों से मुक्त तंत्र तैयार करके समाज कल्याण के कार्यक्रम में क्रांति ला दी है। प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण के म डल को अपनाकर 1.78 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हुई है, और इस योजना की प्रभावशीलता कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिली, जब सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि जल्द ही 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल हो जाएगी।

डॉ. कलाम द्वारा दिखाई गई नेतृत्व की स्पष्टता को याद करते हुए, पुरी ने कहा कि उन्होंने 'ऑपरेशन शक्ति' को सफल बनाने के लिए राजनीतिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों को काफी कुशलता से संभाला था। डॉ. कलाम ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उनका समर्थन रक्षा उपकरणों के आयात पर अपनी निर्भरता घटाने और संक्षेप में, उस समय भारत के हितों की अनदेखी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निर्देशों को मानने से इनकार करने में प्रेरक रहा था। पुरी ने कहा कि कई तरीकों से अब हम 'आत्मनिर्भर' बनने की राह पर चल रहे हैं, जिसकी डॉ. कलाम ने वकालत की थी। डॉ. कलाम ने पुरजोर तरीके से राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने का समर्थन किया था। उन्होंने 'इंडिया 2020' रोडमैप में अपने विजन का उल्लेख किया था, जिसमें ऐसे पांच क्षेत्रों की पहचान की गई थी जिनमें भारत की मुख्य क्षमताएं विकसित की जानी थीं : कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत शक्ति, और देश के सभी हिस्सों के लिए जमीनी परिवहन और प्रमुख प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता।

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ

शिमला। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया

गया, जहां मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिसूचना को पढ़ा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक का जन्म राजस्थान में चुरू जिला के सुजानगढ़ में 25 मई, 1960 को हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से वर्ष 1980 में बी. कॉम, वर्ष 1984 में एल.एल.बी. और वर्ष 1986 में एम. कॉम की डिग्री हासिल की। 8 जुलाई, 1984 को राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य आरम्भ किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विधि की लगभग सभी शाखाओं में प्रैक्टिस की, जिनमें संवैधानिक मामले, सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, भू-राजस्व मामले, सीमा शुल्क व आबकारी मामले, कर मामले, कम्पनी मामले और आपराधिक मामले इत्यादि प्रमुख थे।

उन्होंने 15 जुलाई, 1986 से 21 दिसम्बर, 1987 तक राजस्थान राज्य के सहायक राजकीय अधिवक्ता और 22 दिसम्बर, 1987 से 29 जून, 1990 तक उप राजकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1993 से 1998 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में पैरवी की। उन्होंने वर्ष 1992 से 2001 तक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व भी किया।

वह 7 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए गए और बैंच के लिए स्तरोन्नत होने तक इसी पद पर कार्यरत रहे। वह 15 मई, 2006 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वह 7 अप्रैल, 2019 से 4 मई, 2019 और 23 सितम्बर, 2019 से 5 अक्तूबर 2019 तक दो बार राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वह राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश भी रहे। वह 13 नवम्बर, 2019 से 26 अप्रैल, 2020 तक मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। मेघालय उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किए जाने के बाद 27 अप्रैल, 2020 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उड़ीसा उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किए जाने पर 3 जनवरी, 2021 को उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला, आरट्रैक के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू, महापौर सत्या कौंडल, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, मुख्य न्यायाधीश की धर्मपत्नी सीमा रफीक और उनके परिवार के सदस्य, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पहले 10 दिनों में देश में 30 लाख किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया

शिमला। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हुमायू का मकबरे के परिसर में स्वयंसेवकों के साथ स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया।

युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव उषा शर्मा और मंत्रालय एवं नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न समूहों के स्वयंसेवकों ने भी इस अभियान में भाग लिया। यह मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरा इकटठा करने एवं हटाने के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के महीने भर के स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना है। इस अभियान के माध्यम से हम स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश के बारे में जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस पहल के माध्यम से नागरिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ 1 से 31 अक्तूबर 2021 तक 75 लाख किलोग्राम कचरे, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा,' अभियान के पहले 10 दिनों में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूरे देश में 30 लाख किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम 31 अक्तूबर 2021 से पहले देश भर में 75 लाख किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र करेंगे।

ठाकुर ने देशवासियों से अपील की कि वे सड़कों और उद्यानों में चिप्स के रैपर एवं प्लास्टिक की बोतलें तथा अन्य कचरा न फेंके और इस तरह अपने आस-पास कचरा न फैलाएं। जिस तरह हम अपने घरों में साफ-सफाई रखते हैं, उसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सभी जागरूक हो जाएं और कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, तो शायद भविष्य में इस तरह के सफाई अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छ भारत युवाओं के नेतृत्व वाला एक कार्यक्रम है जो देश भर के 744 जिलों के छह लाख गांवों में नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) से संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से संबद्ध संस्थानों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग जैसे धार्मिक निकाय, शिक्षक, कॉरपोरेट निकाय, टीवी और फिल्म अभिनेता, महिला समूह एवं अन्य भी एक विशेष निर्दिष्ट दिन पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ताकि इस उद्देश्य के लिए अपनी एकजुटता दिखा सकें और इसे जन आंदोलन का रूप दे सकें। स्वच्छता अभियान ऐतिहासिक/प्रसिद्ध स्थलों और पर्यटन स्थलों, बस स्टैंड/रेलवे स्टेशनों, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शिक्षा संस्थानों जैसी चहल-पहल वाली जगहों पर चलाया जा रहा है।

मोबाईल नेटवर्क द्वारा उत्सर्जित तरंगें मानव शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित:सुभाष चंद

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लाइसेन्स सर्विस एरिया (एल.एस.ए) शिमला , दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की क्षेत्रीय इकाई ने मोबाईल टावर से होने वाले उत्सर्जन की जानकारी के लिये वेबीनार का आयोजन किया गया।

दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ उप महानिदेशक सुभाष चंद ने बताया की मोबाईल नेटवर्क द्वारा उत्सर्जित तरंगें मानव शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं और लोगों से अपील की कि वे इसके बारे में पूरी जानकारी रखें जिससे की सभी लोग इस मोबाईल तकनीक का पूरी तरह से उपोयग कर सकें । उन्होंने ये भी बताया की 5G तकनीक के आने के बाद मोबाईल सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि मशीनों तक में उपयोग में लाया जाएगा जिसके लिए काफी अच्छे मोबाईल कवरेज की आवश्यकता होगी एवं इसके लिए और भी अधिक मात्रा में मोबाईल एन्टीना (बी.टी.एस.) लगाने होंगें।

दूरसंचार विभाग के निदेशक (प्रौद्योगिकी) संजय बंसल ने पॉवर पॉइंट प्रस्तुति में मोबाईल टावर से उत्सर्जित तरंगों, भारत में इन तरंगों के प्रस्तावित मानकों एवं उन मानकों के पालन हेतु की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने यह भी बताया की हिमाचल प्रदेश एल.एस.ए. हर साल करीब 10 प्रतिशत मोबाईल टावर का औचक निरीक्षण भी करता है एवं उनके द्वारा उत्सर्जित तरंगों का लेवल भी सुनिश्चित करता है।

दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक (प्रशासन) रणवीर सिंह ने बताया कि दूर संचार विभाग ने लोगों की जानकारी हेतु अपने वेबसाइट पर ई.एम.एफ. के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदर्शित कर रखी है और आम जनता tarangsanchar .gov.in पोर्टल पर जा कर अपने क्षेत्र में मोबाईल टावर एवं उससे उत्सर्जित तरंगों के लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक (अनुपालना) जे. प्रेमराज ने बताया की मोबाईल ऑपरेटर एवं दूरसंचार विभाग की हिमाचल इकाई साथ मिलकर लोगों को मोबाईल नेटवर्क उत्सर्जन के बारे में जागरूक करें जिससे की लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ है वो दूर हो सके और पर्याप्त संख्या में मोबाईल टावर लगाएँ जा सकें ।

अंत में दूरसंचार विभाग के सहायक महानिदेशक (अनुपालना) श्री र बिन कुमार लखनपाल ने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लोगों को मोबाईल उत्सर्जन के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी जिससे की आम जनता मोबाईल तकनीक का सुचारु रूप से उपयोग कर सके। इस बात पर भी जोर दिया की मोबाईल नेटवर्क पूरी तरह उपयोग के लिए सुरक्षित है एवं लोग किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से दूर रहें। इस वेबीनार में 60 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उप-निर्वाचन के दृष्टिगत पुलिस, आबकारी एवं कराधान व आयकर विभाग को आवश्यक निर्देश जारी

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु की अध्यक्षता में उप-निर्वाचन -2021 के दृष्टिगत राज्य नोडल अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, आबकारी एवं कराधान तथा आयकर विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में पुलिस विभाग के दायित्वों की समीक्षा करते हुए विभाग की ओर से तैयार राज्य निर्वाचन सुरक्षा योजना पर चर्चा की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों, जिलों अथवा राज्य की सीमाओं पर जांच व रोकथाम के व्यापक प्रबंध करने, अंतर जिला व अंतर-राज्यीय नाकों और अन्य प्रवेश स्थलों पर 24 घंटे निगरानी तथा पड़ोसी राज्य अथवा जिलों से शराब, ड्रग्स, नगदी, अवैध शस्त्र इत्यादि की संभावित खपत पर नियंत्रण व निगरानी के लिए उन जिलों अथवा राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हिस्ट्रीशीटर, घोषित भगौड़े तथा अन्य अपराधियों के विरुद्ध निवारक उपाय करने व लंबित गैर जमानती वारंट के निष्पादन के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त शस्त्र जमा करवाने, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के लिए कार्य योजना, उड़न दस्तों व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा दैनिक आधार पर विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए कि उप-निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आरटीओ चेकपोस्ट और सीमाओं पर स्थित चेक पोस्ट में सभी वाहनों की आवाजाही पर गहनता से निगरानी रखी जाए। उप-निर्वाचन से संबंधित कांगड़ा, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति तथा चंबा जिला के सभी शराब भंडारों व भटियों को चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी के अधीन रखने तथा पुलिस कर्मियों की समुचित व्यवस्था कर बिना वैध लाइसेंस के किसी भी तरह की शराब की आपूर्ति पर निगरानी रखने को कहा गया।

आयकर विभाग को निर्देश दिए गए कि उप-निर्वाचन अवधि में हवाई अड्डों, होटल, वित्तीय दलालों (फाइनेंसियल ब्रोकर), रोकड़ संदेशवाहकों (कैश कूरियर) और अन्य संदिग्ध एजेंसियों अथवा व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजदीकी से नजर रखें, ताकि अघोषित नगदी के प्रवाह को रोका जा सके। इसके लिए विभाग को संबंधित जिलों की प्रवर्तन एजेंसियों व जिला निगरानी सेल के साथ समन्वय स्थापित करने तथा 10 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध प्रकृति के जमा अथवा निकासी के मामलों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (एपी एंड टी) जेपी सिंह, अतिरिक्त निदेशक (अन्वेषण) आयकर अंकुर आल्या, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी हितेश शर्मा, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम दुल्टा तथा उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच.एल. धीमान भी उपस्थित थे।

कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करे नेता:चुनाव आयोग

शिमला/शैल। मंडी संसदीय हलके के लिए हो रहे उपचुनाव में 12 लाख 99 हजार 756 मतदाता चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस, भाजपा, आजाद व अन्य दलों के छह प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे।

मुख्य चुनाव अधिकारी सी पालरासु ने बताया कि मंडी संसदीय हलके अलावा बाकी तीन विधानसभा हलकों में से अर्की विधानसभा हलके में 92 हजार 602 मतदाता है। 30 अक्तूबर को ये मतदाता यहां से चुनाव मैदान में उतरे तीन प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। जुब्बल-कोटखाई में 70 हजार 965 मतदाता है। जुब्बल कोटखाई में भाजपा के बागी चेतन बरागटा समेत चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।

फतेहपुर विधानसभा हलके में 87 हजार 222 मतदाता है जो 30 अक्तूबर को होने वाले उप चुनाव में पांच प्रत्याशियों का भाग्य को ईवीएम में कैद करेंगे।

पालरासु ने कहा कि मंडी संसदीय हलके में कबाइली जिला लाहुल स्पिति में स्थित टशीगंग दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। यह समुद्र तल से 15हजार 265 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने कहा कि यहां पर केवल 55 मतदाता है जो 30 अक्तूबर को मतदान करेंगे।

आजाद भारत के पहले मतदाता 105 साल से ज्यादा की उम्र के श्याम सरन नेगी को जिला किन्नौर के कल्पा मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष इंतजाम किए जाएंगे। 1952 में हुए देश के पहले आम चुनाव से लेकर अभी तक ऐसा एक भी चुनाव नहीं गया है जिसमें श्याम सरन नेगी ने मतदान न किया हो।

इस मौके पर पालरासु ने तमाम दलों के नेताओं व प्रत्याशियों से आहवान किया कि वह कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करे। अन्यथा चुनाव आयोग की ओर से कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों को दो दिनों तक चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा मामला दर्ज करने का प्रावधान भी है।

सरकार ने कोविड महामारी के नाम पे शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़

– आशीष सिंह ठाकुर –
अधिवक्ता

शिमला। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमें कभी कोविड-19 जैसी महामारी का सामना भी करना पड़ेगा। निसंदेह ही इस महामारी ने बिना किसी भेदभाव के लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी ने समूचे विश्व को प्रभावित किया है जिससे हमारा देश व प्रदेश भी अछूता नहीं है। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार जो आपदा को अवसर बनाने का दावा कर रही थी ने इस महामारी के दौरान राजनीतिक लाभ के लिए न केवल भ्रामक ब्यानबाज़ी की बल्कि आम जनता और विशेषकर देश के भविष्य माने जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा का भी भद्दा मजाक बनाकर भोले-भाले छात्रों के साथ अन्याय किया है।

कोविड महामारी के कारण कोरोना कर्फ्यू लगाने से अन्य संस्थनो की भांति शिक्षण संस्थानो को भी बंद करना पड़ा था। जो परिस्थिति के अनुरूप था लेकिन बजाय स्थाई विकल्प निकालने के सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर हर घर पाठशाला 2.0 कार्यक्रम और ई-पीटीएम का शुभारंभ किया। जिससे प्रदेश के जन-जातीय और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थी पुरी तरह वंचित रहे उनके पास न तो इटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी और कुछ विद्यार्थीयों के पास तो मोबाईल फोन तक की सुविधा नहीं थी। ऐसे छात्रों को न तो हर घर पाठशला का लाभ मिला ना तो सरकार ने उनके लिए पढ़ाई का कोई अन्य विकल्प निकालना उचित समझा।

सरकार ने बच्चों के हाथों में भी मोबाईल फोन थमा दिए और अभिभावकों को मोबाईल खरीदने के लिए विवश किया। वे बच्चे जिन्होनें कभी स्कूल देखा तक नहीं उनको भी मोबाइल के सामने बिठा दिया, उनके लिए तो स्कूल केवल मोबाइल फोन है जिसके सामने उन्हें प्रतिदिन बैठा दिया जाता है। बड़े बच्चे तो फोन को म्यूट करके क्लास लगाने की जगह गेम्ज़ खेलने में ही सारा समय व्यस्त रहते हैं। महीनों भर मोबाइल हाथ में रहने के बाद विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग शुरू कर दिया है। इस कारण बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं। ज्यादा देर तक स्क्रीन पर व्यस्त रहने के कारण उनमें तनाव और आलस की समस्याएं भी बढ़ गई हैं।

निस्संदेह, शिक्षा क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इस अवधि के दौरान कई विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उनके साथ-साथ हम बोर्ड परीक्षाओं, नर्सरी स्कूल में दाखिले आदि को कैसे भूल सकते हैं, जिसे हमारी आपदा में अवसर खोजने वाली सरकार पूरी तरह भूल चुकी है। वे अपने अपसी मामलों और पार्टी की अंतर्कलह में इतने उलझे है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने तक से परहेज नहीं कर रहे।

कोविड-19 महामारी से हुए अभूतपूर्व व्यवधान के कारण बच्चों की शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बजाए कोई कदम उठानें और महामारी के दौरान शिक्षा से जुड़ी आम बाधाओं के लिए विकल्प निकालने के सरकार ने सभी प्रवेश परिक्षाए और बोर्ड परीक्षाओं का मजाक बनाकर बार-बार स्थगित किया और जनता को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने में इतने व्यस्त हो गए की विद्यार्थियों के पुराने परिक्षा परिणाम निकालना ही भूल गए।

जो छात्र अभी उच्च शिक्षा के विशेषकर तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के अंतिम वर्ष में है उनका प्लेसमेंट अमूमन इसी समय में होता था उनके लिए भी सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। प्लेसमेंट के नाम पे काबिल छात्रों के हाथ मे पाँच-सात हजार की नौकरियां थमा दी जाती है जिससे परिवार खर्च तो दूर जेब खर्च भी नहीं निकलता। कमोबेश यही स्थिति इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर भी रही है। सरकार ने अपने छात्रों के लिए कोई इंटर्नशिप की व्यवस्था नहीं की है और बड़ी संख्या में छात्र इस स्थिति से भी परेशान है। छात्रों की इंटर्नशिप के लिए भी कई कंपनियां आगे आ रही है। जरूरत है बड़े पैमाने पर संस्थाओं को आगे आने की जिस से छात्र एक तो अपना कोर्स पूरा करेंगे साथ ही इस मुश्किल समय में प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आत्मविश्वास के साथ सैक्षणिक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे।

आपदा को अवसर बनाने वाली सरकार जहां तक गुणवत्त शिक्षा प्रदान करने का दावा करती है तो प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा के लिए पलायन कर अन्य राज्यों में जाने को क्यों विवश है। सरकारी स्कुलों का हाल बुरा है और उच्च शिक्षा के लिए कालेजों में कई ऐसे विषय ही उपलब्ध नहीं है जिनमें विद्यार्थी अपना भविष्य बनाने के इच्छुक हैं। यही नहीं पार्टी के कुछ कदावर नेताओं ने तो राष्ट्र के निर्माता माने जाने वाले शिक्षकों पर भी निंदनीय ब्यानबाज़ी करके उनका अपमान किया।

एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो छात्र पहले खुल कर रहते थे, विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल आदि मनोरंजन में अपने सहपाठियों के साथ खुलकर भाग लेते थे, आज वो छात्र अपने घरों में कैद रहने को विवश है, सामाजिक दूरी बना रहे हैं। ऐसे में अगर छात्र मानसिक तनाव में आ रहे हैं। मानसिक अवसाद की ऐसी अवस्था से छात्रों को बचाने के लिए सरकार को मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी चाहिए एवं छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

आज आवश्यकता है सरकार, संस्थान, समाज, इंडस्ट्री, लीडर्स एवं स्वयं छात्रों को मिल जुल कर सभी छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा, परीक्षाओं का विकल्प तलाशने होंगे, ऑननलाइन प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज को आगे आना चाहिए एवं छात्रों को प्लेसमेंट, प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप आदि देकर उन्हें तनाव से बाहर ला सकते हैं। अभिवावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते उन्हें सकारात्मकता के लिए प्रेरित करें।

कोविड संकट के नाम पर बजाए कोई राजनीतिक लाभ लेने के अब सरकार को इस समस्या के वास्तविक समाधान निकालने और भविष्य मे ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए नीति बनाने के लिए गंभीर होना चाहिए क्योंकि प्रदेशवासी भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी से भली-भांति परिचित हो गये हैं। जिसका उदाहरण आने वाले उप चुनाव के नतीजों में देखने को मिल जाएगा।

नशा सेवन की बुराई को समाप्त करने के लिए सभी का योगदान आवश्यक:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह तभी सार्थक होगा, जब हम समाज से नशा सेवन जैसी सामाजिक बुराई को मिटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

राज्यपाल अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के विधिवत शुभारम्भ के अवसर पर अटल सदन में आयोजित कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में नशा सेवन तेजी से बढ़ रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो जानलेवा है। उन्होंने कहा कि सभी को इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और योगदान देने के साथ-साथ ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर जनभागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा, हमें संकल्प लेना चाहिए कि न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नशे की बुराई से बचाना है।

आर्लेकर ने कहा कि स्कूल के दिनों में उन्होंने कुल्लू दशहरा के बारे में पढ़ा था और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से आज उन्हें यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा कई मायनों में अलग है। दुनिया भर में जहां ये आयोजन सम्पन्न होता है वहीं कुल्लू में आरम्भ होता है। उन्होंने कहा कि यह विविधता हमारी संस्कृति को और समृद्ध बनाती है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई यह बड़ी बात है, जिसका श्रेय कुल्लू के लोगों को जाता है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जिसने कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए पहली खुराक देने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर ने भी वयस्कों को दूसरी खुराक देने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कुल्लू दशहरा में बेहतर व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने मेला मैदान में स्थापित भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति पर शीश नवाया।

इस अवसर पर कुल्लू दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने राज्यपाल का स्वागत एवं उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के कारण पिछले वर्ष केवल सात देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना टीकाकरण के परिणामस्वरूप स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 332 पंजीकृत देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में सप्ताहिक अपराध समीक्षा का आयोजन

शिमला/शैल। पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सप्ताहिक अपराध समीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों सहित आई.जी./डी. आई.जी. रैन्ज व जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक संजय कून्डू ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्री जैसे शराब, घरेलू, सामान, नशीले पदार्थ इत्यादि को वितरित करने जैसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखें।

इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश भर में स्थापित शराब उत्पादक ईकाईयों तथा थोक वितरण गोदामों से किसी भी सूरत में किसी प्रकार से अवैध रूप से शराब की निकासी करके इसे वोटरों को लुभाने हेतू प्रयोग न किया जाए और यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान मे आता है तो ऐसी सामग्री को तत्काल नियमानुसार जब्त करके दोषियों के विरूद्व सख्त कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और तत्काल पुलिस मुख्यालय को सूचित करें।

केंद्र व प्रदेश सरकार ले रही मजदूर विरोधी निर्णय:विजेंद्र मेहरा

शिमला/शैल। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। विजेंद्र मेहरा व प्रेम गौतम ने राज्य कमेटी बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की देश व जनता विरोधी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के खिलाफ सीटू के बैनर तले 21 अक्तूबर को मजदूर जिला व ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मजदूरों व किसानों की मांगों को लेकर चल रहे देशव्यापी आंदोलन के 26 नवम्बर को एक साल पूरा होने पर प्रदेशभर में मजदूरों व किसानों के प्रदर्शन होंगे। निर्माण व मनरेगा मजदूरों को हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के आर्थिक लाभों को सुनिश्चित करने व अन्य मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले 2 दिसम्बर को प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी व शिमला में प्रदेशभर के हज़ारों मजदूर विशाल प्रदर्शन करेंगे। आउटसोर्स कर्मियों की मांगों को लेकर बजट सत्र में हज़ारों आउटसोर्स कर्मी नियमितीकरण व नीति बनाने की मांग को लेकर विधानसभा पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार लगातार मजदूर विरोधी निर्णय ले रही हैं। कोरोना काल में देश की ही तरह प्रदेश में हज़ारों मजदूरों की छंटनी की गई है व उनके वेतन में चालीस प्रतिशत तक की कटौती की गई।आज मजदूरों के श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी चार लेबर कोड बना दिये गए हैं। इन लेबर कोडों से नियमित रोज़गार खत्म हो जाएगा। इस से फिक्स टर्म रोज़गार व हायर एन्ड फायर नीति को बढ़ावा मिलेगा व मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी। मजदूरों पर आठ के बजाए बारह घण्टे का कार्य दिवस थोपा जा रहा है व उन्हें बंधुआ मजदूरी की स्थिति में धकेला जा रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या भाजपा का परिवारवाद बरागटा परिवार तक ही रहेगा या आगे भी बढ़ेगा

- यदि प्रदेश नेतृत्व बरागटा के साथ था तो क्या यह विद्रोह नड्डा और मोदी के खिलाफ है।
- क्या सहानुभूति के कवर में सेब का सवाल गौण हो जायेगा।

शिमला/शैल। इस उपचुनाव में भाजपा ने फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में इन लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो 2017 के चुनावों में पार्टी के विरोधी थे। इन्हें इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि पार्टी में वरियता का क्या स्थान और सम्मान है। यही नहीं जुब्बल-कोटखाई में स्व. श्री नरेन्द्र बरागटा के बेटे और पार्टी के आईटी सैल के प्रदेश इन्चार्ज चेतन बरागटा को परिवारवाद के नाम पर टिकट नहीं दिया गया। इससे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि संगठन में तो परिवार के कई सदस्य एक साथ कई पदों पर सेवाएं दे सकते हैं, जिम्मेदारियां निभा सकते हैं लेकिन संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। वैसे स्व. श्री नरेन्द्र बरागटा के निधन के बाद उनके बेटे को टिकट दिया जाना यदि परिवारवाद की परिभाषा में आ जाता है तो क्या कल को यही गणित धूमल, महेन्द्र सिंह और विरेन्द्र कंवर के परिवारों पर भी लागू होगा? यह सवाल भी कुछ हल्कों में उठने लग पड़ा है। क्योंकि क्योंकि इनके बच्चों ने भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राजनीति में प्रवेश कर लिया है। स्वभाविक है कि इनकी अगली मंजिल देर-सवेर विधानसभा और संसद रहेगी ही। क्योंकि जब चेतन बरागटा के टिकट पर तो यह कहा गया कि प्रदेश नेतृत्व तो उनके हक में था परन्तु प्रधान मन्त्री परिवारवाद का आरोप नहीं लगने देना चाहते थे। अब यह परिभाषा इसी उपचुनाव तक रहेगी या आगे भी इस हथियार से कई गले काटे जायेंगे यह देखना दिलचस्प होगा।

चेतन बरागटा ने टिकट न मिलने से नाराज़ होकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में ताल ठोक दी है। मण्डल के बहुत सारे पदाधिकारी भी उनके समर्थन में आ गये हैं। पार्टी ने बरागटा को संगठन से निष्कासित भी कर दिया है। परन्तु उनके साथ विद्रोही बने अन्य कार्यकत्ताओं/पदाधिकारियों के खिलाफ अभी कोई बड़ी कारवाई नहीं की गई है। वैसे यदि इस चुनाव में नीलम सरैक को टिकट मिल सकता है तो अगले चुनाव यही टिकट बरागटा या किसी अन्य को मिल जाये तो इसमें कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बार के टिकट आवंटन से यही सन्देश संगठन में गया है। वैसे चेतन बरागटा ने जब से यह कहा है कि मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर से उन्हें कोई शिकायत नहीं है और यदि वह जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वह भाजपा के ही साथ रहेंगे तो इससे एक सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या वह किसी विशेष रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि सेब उत्पादक क्षेत्रों में कृषि कानूनों को लेकर बागवानों में भारी रोष है। अदाणी के एक झटके ने पाँच हजार करोड़ की आर्थिकी को हिलाकर रख दिया है। इससे सेब उत्पादक क्षेत्रों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बल्कि इस झटके ने भाजपा के हाथों मिले पुराने गोलीकाण्ड के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है।

बागवान सरकार के कृषि कानूनों से कितने रोष में है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसान आन्दोलन के नेता इस उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। ऐसे में चेतन बरागटा पिता की मौत से उपजी सहानुभूति में कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर उठते सवालों को उठने का मौका ही नहीं आने देने का माहौल अप्रत्यक्षत: खड़ा कर रहे हैं ऐसी चर्चा भी कुछ क्षेत्रों में चल निकली है। क्योकि चेतन बरागटा सहानुभूति के कवर में यदि सरकार पर उठते सवालों का रूख मोड़ने में सफल हो जाते हैं तो इसका सीधा लाभ भाजपा और जयराम सरकार को मिलेगा। इस परिपेक्ष में यदि आने वाले दिनों में बरागटा कृषि कानूनों को लेकर अपना स्टैण्ड स्पष्ट नहीं करते हैं तो उन्हें इस चुनाव में भी जनता भाजपा की 'ही' टीम माने लग जायेगी यह तय है।

क्या यह उपचुनाव कृषि कानूनों और मंहगाई के गिर्द केन्द्रित हो पायेंगे

- सेब बागवानों के बाद गेहूं और धान उत्पादक भी आये कृषि कानूनों की चपेट में
- पावंटा साहिब से लेकर फतेहपुर तक खरीद केंद्रों की व्यवस्था न होने से रोष में किसान
- फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी को नहीं आने दिया गांव में
- किसानों की आय दो गुनी करने का दावा करने वाली सरकार 2020 की सब्सिडी का भुगतान नहीं कर पायी
- विदेशी नस्ल की सस्ती बकरियां देने की योजना पर भी ग्रहण लगने के आसार

शिमला/शैल। प्रदेश में हो रहे उपचुनावों का असर आने वाली राजनीति पर पड़ेगा और इससे हर दल प्रभावित होगा यह तय है। ऐसा इसलिए होगा कि यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब मंहगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसा क्यों है इसके कारणों को लेकर शायद ज्यादा नेता भी स्पष्ट नहीं है लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद और उनके बीच भी मंहगाई पर सरकार रोक ना लगा सके तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में यह और भी बढेगी। स्वभाविक है कि जब सरकार को बैड बैंक बनाने की विवश्ता हो गई है तो संकेत और संदेश साफ है कि बैकिंग व्यवस्था कभी भी दम तोड़ सकती है। लोगों के जमा पर लगातार ब्याज कम हो रहा है। जीरो बैलेंस के नाम पर खुले खातों में न्यूनतम बैलेंस डाकघर में 500 और बैंक में 1000 की शर्त बहुत अरसे से लागू हो चुकी है। इस न्यूनतम बैलेंस का खाताधारक को कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। बैंकों का एनपीए इतना अधिक हो चुका है कि यदि सारे जमाकर्ता अपना पैसा एक मुश्त वापिस मांग ले तो शायद बैंक ना दे पाये। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका हर आदमी पर प्रभाव पडेगा चाहे वह इस बारे में सचेत हो या ना हो। आर्थिकी के इस प्रत्यक्ष पक्ष से भले ही आम आदमी ज्यादा जानकार ना हो परंतु इसके प्रभाव का सीधा भुक्तभोगी होने के कारण उस पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पडेगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है या नहीं।

इस समय कृषि कानूनों की प्रतिक्रिया से उभरे किसान आंदोलन से हर आदमी प्रभावित है क्योंकि आज भी 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर साधे आधारित है और शेष अप्रत्यक्षत: प्रभावित है। हिमाचल में कृषि कानूनों का पहला दंश उस समय सामने आ गया जब अदाणी के ऐग्रो फैश के एक फैसले से पांच हजार करोड़ का सेब का कारोबार एक दम दहल गया। अदाणी के एक फैसले से सेब उत्पादक से लेकर इसके कारोबारी तक सबने विरोध के स्वर उंचे कर दिये। मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री तक को अन्य व्यवहारिक ब्यान देने पड़े। सेब के बाद धान और गेहूं के उत्पादक किसान पावंटा साहिब से लेकर फतेहपुर तक अब उपचुनाव के दौरान इन कानूनों के दंश का शिकार हुए है क्योंकि खरीद केंद्रों की व्यवस्था जयराम सरकार नहीं कर पायी। खरीद केंद्र न होने को लेकर तो फतेहपुर के किसानों ने वहां के भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर का घेराव करके उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गांव में नहीं आने दिया। वहीं से बलदेव ठाकुर को कृषि मंत्री विरेंद्र कंवर और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से फोन पर बात करनी पड़ी। लेकिन इसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल पाया। खरीद केंद्र की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई आज भी पांवटा साहिब से लेकर फतेहपुर तक यह समस्या यथास्थिति बनी हुई है। इसलिए जो किसान इन कानूनों का दंश व्यावहारिक रूप से भोग रहा है वह सरकार को समर्थन देने का कैसे फैसला ले पायेगा। जो सरकार 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती आयी है वह जब कृषि मंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में ही बागवानों को 2020 की सब्सिडी का आज तक भुगतान न कर पायी हो उसके दावों पर कोई कैसे और क्यों विश्वास कर पायेगा। यही नहीं जिन किसानों को उतम विदेशी नस्ल की भेड़ बकरियां सस्ते दामों पर देने का दावा किया गया था और इसके लिए उनका हिस्सा भी ले लिया गया था। उसके मुताबिक यह बकरियां सरकार नहीं दे पायी है। इस योजना के तहत कृषि मंत्री विदेश यात्रा भी कर आये थे। परंतु आज शायद यह योजना बदलनी पड़ रही है।

इस परिदृश्य में हो रहे इन उपचुनावों में जनता सरकार की किस उपलब्धि के लिये उसे अपना समर्थन देगी यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आज भाजपा के हर प्रत्याशी के लिये कृषि कानूनों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की बाध्यता आ खड़ी हुई है। क्योंकि हिमाचल में तो 90 प्रतिशत जनता कृषि और बागवानी पर आश्रित है। यह उपचुनाव अप्रत्यक्ष रूप में कृषि कानूनों पर एक प्रकार से फतबे का काम करेंगे। इसलिये किसान आंदोलन के नेता भी इन पर जनता को जागरूक करने के लिये चुनाव प्रचार में अपनी बात रखने के लिये आ रहे हैं। किसान नेताओं के आने से इस चुनाव के कृषि कानूनों पर केन्द्रित होने की पूरी-पूरी संभावनायें बन गई है।